पत्रॉक 1058 /आयु0क0उत्तरा0/वा0क0दे0दून/धारा–57/वाद अनु0/2008–09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(वाद अनुभाग)
देहरादूनः: दिनॉकः:जून 28, 2008.

प्रार्थनापत्र सॅख्या 27/2008–09
सर्वश्री चीफ इन्जीनियर (इलैक्ट्रीकल)
भारत संचार निगम लिमिटेड, देहरादून।
निर्णय का दिनॉक– 28–06–2008
प्रार्थी की ओर से– श्री मंगरुराम, वरिष्ठ लेखाधिकारी (बी0एस0एन0एल0 इलै0डिवीजन) ।

उत्तराखण्ड (उत्तरॉचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सर्वश्री चीफ इन्जीनियर (इलैक्ट्रीकल) भारत संचार निगम लिमिटेड, देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005) अनुकूलन एवॅ उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–57 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र दिनॉक 04–06–2008 को प्रस्तुत करते हुए यह प्रश्न पूछा गया है कि डी0जी0सेट की आपूर्ति, स्थापना, टेस्टिंग तथा कमीशनिंग हेतु एक ही टेण्डर के माध्यम से डी0जी0सेट की आपूर्ति (प्रथम भाग) तथा इन्स्टालेशन, टेस्टिंग तथा कमीशनिंग (द्वितीय भाग) के सम्बन्ध में किये गये भुगतान पर धारा–35 के अन्तर्गत भुगतान के श्रोत कटौती करके ट्रेजरी में जमा करने के सम्बन्ध में विधिक स्थिति क्या होगी।

2– धारा–57 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थनापत्र मे उठाये गये बिन्दुओं पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून सम्भाग के माध्यम से सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी से आख्या मॉगी गयी तथा आवेदनकर्ता का पक्ष सुना गया।

3– मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–35 के अन्तर्गत भुगतान के श्रोत पर किसी भी निर्माण संविदा के अन्तर्गत किये गये भुगतान पर 4% की दर से कर की कटौती करके ट्रेजरी में चालान से इस धनराशि को जमा करने का प्रावधान स्पष्ट रुप से परिभाषित किया गया है। निर्माण संविदा के अन्तर्गत माल के स्वामित्व के अन्तरण पर किये जाने वाले समस्त भुगतान पर धारा–35 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुरुप 4% की दर से कर की कटौती करके धारा–35 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुसार जिस माह में कटौती की गयी है उसके अनुवर्ती माह की अन्तिम तिथि तक ट्रेजरी में जमा करने की जिम्मेदारी संविदी विभाग (Contractee) की है। संविदाकार (Contractor) के द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र देने पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी यदि चाहे तो 4% की दर से कम दर पर भी कटौती करने के आदेश किसी संविदा विशेष के मामले में संविदी विभाग को दे सकता है।

यदि किसी व्यापारी/निविदादाता द्वारा केवल माल की आपूर्ति ही की जाती है तो यदि कोई संविदा (Contract) पूर्णतः विभाज्य (Divisible) है अर्थात् जहॉ पर संविदा के अन्तर्गत माल की आपूर्ति करने के लिए पृथक से उल्लेख किया गया हो तो ऐसे मामलों में विशुद्ध माल की आपूर्ति की दशा में उस भुगतान के श्रोत पर कोई कटौती नहीं की जायेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन निर्माण संविदाओं के अन्तर्गत माल की आपूर्ति तथा संस्थापना पूर्णतः विभाज्य (Divisible) है एवॅ अलग–2 परिभाषित है उन मामलों में माल की आपूर्ति के घटक (Component) पर भुगतान के श्रोत पर कटौती नहीं की जायेगी तथा केवल

28/06/08

संस्थापना (Installation), कमीशनिंग जैसे कम्पोनेन्ट्स पर ही भुगतान के श्रोत पर कटौती की जायेगी।

तदनुसार आवेदनकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–2 भेजी जाय।

280608

(वी0के0सक्सेना)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

1048
पृ0पत्र संख्या एवं दिनॉकः उपरोक्त।

9c

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून।
2– डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम, वाणिज्य कर, देहरादून।
3– सर्वश्री चीफ इन्जीनियर (इलैक्ट्रिकल) भारत संचार निगम लि0 देहरादून को सूचनार्थ।

280608

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

9c